THE BANSWARA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD
Head Office, College Road, Banswara - 327001
दी बांसवाड़ा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
प्रधान कार्यालय, कॉलेज रोड, बांसवाड़ा – 327001
Ph. (02962) 243784

क्रमांक : बी.सी.सी.बी./बी/2018–19/9857

दिनांक 03.07.2018

निविदा सूचना 2018–19

दी बांसवाड़ा सैन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. बांसवाड़ा के प्रधान कार्यालय एवं शाखाओ में वर्ष 2018–19 हेतु संविदा पर सहायक कर्मी, कम्प्युटर ऑपरेटर, बैंकिग सहायक आदि उपलब्ध करवाने बाबत् सेवा प्रदाता एजेंसीयो से निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र. स.	निविदा विवरण	अनुमानित राशि लाखो में	अमानत राशि	निविदा शुल्क	फार्म प्राप्ति की अंतिम दिनांक व समय	फार्म जमा की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की अंतिम दिनांक व समय
1.	प्लेसमेन्ट एजेन्सी सेवा अनुबन्ध	**36.00**	**72000/-**	**500/-**	17.07.2018 दोपहर 12.00 बजे तक	17.07.2018 दोपहर 2.00 बजे तक	18.07.2018 दोपहर 3.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र के वेबसाईट **www.banswaraccb.com** एवं **http://sppp.raj.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रबंध निदेशक
बैंक

UBN NO: BCC1819SLOB00002.

दी बांसवाडा सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि बांसवाडा

: निविदा की मुख्य शर्ते :

1. निविदाएं दो पृथक पृथक मोहर बन्द लिफाफो मे प्रस्तुत की जावे। प्रथम लिफाफे पर तकनीकी बिड एवं द्वितीय लिफाफे पर वित्तिय बिड अंकित करे। निविदा की तकनीकी बिड मे सफल पाये जाने पर ही वित्तिय बिड खोली जावेगी। निविदा इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. सेवा अनुबन्ध के तहत कार्मिको से अपेक्षित कार्य कराये जाने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म/कम्पनी/संस्थान के माध्यम से आमंत्रित निविदा अनुसार विभिन्न पदो पर लगभग 40 कार्मिको की आवश्यकता है। कार्मिको की संख्या में परिवर्तन सम्भव है। पदो की संख्या शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम सकल मानदेय निम्नानुसार निर्धारित है :–
3. अन्य सभी नियम व शर्ते वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F9(1)FD-1910BUD/2004 DATED 28-07-2008, F9-1(1)BUD/2012 DATED 01-07-2015 में उल्लेखित मेन विथ मशीन से सम्बन्धित निर्धारित मापदण्डो एवं राज्य सरकार के जारी दिशा निर्देशो के अध्यधीन रहेगी।
4. निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे मे प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग – अलग सीलबन्द लिफाफे मे देनी होगी। तकनीकी निविदा मे सफल निविदा दाताओ की वित्तीय निविदा खोली जायेगी। निविदा कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी। लिफाफे पर प्रेषक का नाम व पता स्पष्ट अंकित होना चाहिए। लिफाफे पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मेन विथ मशीन हेतु निविदा लिखा हुआ होना चाहिये।
5. प्रबंध निदेशक **दी बांसवाडा सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि बांसवाडा** द्वारा समान दर होने पर एक से अधिक फर्मो की दरे भी अनुमोदित की जा सकती है।
6. सेवा एजेन्सी द्वारा संविदा पर उपलब्ध कराई जाने वाली मेन पावर पूर्णतः अस्थाई होगी तथा संविदा की अवधि समाप्त होते ही कार्य मे लगाई गई मैन पावर की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। सेवा ऐजेन्सी द्वारा वही मेन पावर लगाई जावेगी, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हो, कार्य में दक्ष हो व कार्यालय मे स्वीकार्य हो। कम्प्युटर ओपरेटर की न्युनतम योग्यता स्नातक तथा हिन्दी, अंग्रेजी टंकण (कम्प्युटर) तथा अंग्रेजी स्टेनो न्युनतम गति हिन्दी 60 एवं अंग्रेजी 60 शब्द प्रति मिनीट का ज्ञान होना आवश्यक है। पेजमेकर एवं कोरल ड्रा के जानकार को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. सेवा एजेन्सी द्वारा अवयस्क व्यक्तियो को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
8. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानो के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह स्वंय के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। श्रम नियमो की अनुपालना का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित एजेन्सी का होगा।
9. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई मेन पावर को पारिश्रमिक का भुगतान स्वंय एजेन्सी को ही अगले माह की 7 तारीख तक करना होगा।
10. यदि सेवा एजेन्सी के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित कर्मकार न्यायालय मे अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और उसमे प्रबन्ध निदेशक, **दी बांसवाडा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** या अन्य अधिकारी को भी पक्षकार बनाता है तो इस कार्यालय पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार सेवा एजेन्सी को वहन करना होगा।

11. श्री सरकार के विधि के विभिन्न प्रावधानो के अन्तर्गत रखे जाने वाले समस्त रिकार्ड को सुरक्षित संधारित करने की सेवा एजेन्सी की स्वंय की जिम्मेदारी होगी।
12. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर श्रमिको के हितो मे किये जाने प्रावधानो की पालना करने का दायित्व सेवा एजेन्सी का होगा।
13. निविदा मे भाग लेने वाली एजेन्सी पिछले पांच वर्षो के दौरान राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिये।
14. संविदा पर लगे श्रमिको की किसी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप मे दुर्घटना/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार सेवा एजेन्सी द्वारा वहन किया जायेगा। इसके लिये इस कार्यालय द्वारा कोई भार वहन नही किया जायेगा।
15. सेवा अनुबन्ध सामान्यत 31.03.2019 तक होगा जोकि आगे राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा। कार्य सन्तोषजनक नही होने, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति समाप्त होने अथवा अपरिहार्य कारण उत्पन्न होने पर अनुबन्ध वर्ष बीच मे कभी भी तत्काल समाप्त किया जा सकेगा।
16. कम्प्युटर ऑपरेटर की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
17. ऑपरेटर का कार्यालय समय 9.30 बजे पुर्वान्ह से 6.00 बजे अपरान्ह रहेगा। ऑपरेटर को राष्ट्रीय अवकाश ही देय होगे। आवश्यकता होने पर अवकाश दिवस को भी बुलाया जा सकता है, जिसकी एवज मे क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जा सकेगा।
18. निविदा स्वीकृति की दरो के आदेश प्रसारित होने के बाद सम्बन्धित फर्म को दी बांसवाडा **सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** मे उपस्थित होकर रू. 500/– या संशोधित स्टॅाम्प ड्युटी पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
19. अवकाश स्वीकृति के बिना किसी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मेन विथ मशीन के अनुपस्थित रहने पर उसके पारिश्रमिक से नियमानुसार कटौती कर ली जावेगी। पुनरावृत्ति पर अनुबन्ध निरस्त भी किया जा सकता है।
20. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा, जिसे सेवा एजेन्सी को मानना होगा।
21. सेवा एजेन्सी को समस्त कार्य **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** या उसके अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निरीक्षण मे सम्पादित करना होगा।
22. सेवा एजेन्सी द्वारा दी गई अन्य कोई शर्ते मान्य नही होगी। सशर्त निविदा निरस्त की जा सकेगी।
23. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड की राशि सेवा एजेन्सी को देय किसी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि मे से वसूल करने का अधिकार **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** को होगा।
24. सेवा आपूर्ति संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियो का चाल – चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके सम्बन्ध मे सेवा एजेन्सी को पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
25. निविदादाता को राजस्थान प्रोक्योरमेन्ट नियम 2013 की शर्तो का पालन करना होगा।
26. स्वीकृत/अनुमोदित दरो पर न्युनतम दर प्रस्तुतकर्ता द्वारा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मेन विथ मशीन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति मे **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** द्वारा खुले बाजार से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मेन विथ मशीन हायर किये

जायेगे, **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** के द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि न्युनतम दर प्रस्तुतकर्ता के बिलो से कटौती की जावेगी।

27. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मेन विथ मशीन को कार्यालय कार्य की गोपनीयता रखनी होगी। किसी भी प्रकार से गोपनीयता भंग होने की शिकायत पर निविदादाता के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावेगी।

28. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मेन विथ मशीन की सेवाऐ सन्तोषप्रद नही होने पर उसे हटाया जा सकेगा। एक बार लगाये गये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/मेन विथ मशीन को अनुबन्ध अवधि मे बदला नही जायेगा। यदि अपरिहार्य परिरिस्थतियो मे बदलना पडे तो इस कार्यालय की लिखित मे पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

29. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** का होगा।

30. आयकर की नियमानुसार कटौती की जावेगी।

31. दरे सील बन्द लिफाफे मे देनी होगी।

32. अनुबन्ध की पालना न करने पर सिक्युरिटी राशि जब्त करने का पुरा अधिकार **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** को होगा।

33. किसी वाद विवाद मे न्यायालय का स्थान बांसवाडा होगा।

34. संविदा अवधि मे संविदा के दोनो पक्षो निविदादाता एवं **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** या उनके मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेगे। मध्यस्थ वार्ता मे दोनो पक्ष अपना एक–एक प्रतिनिधि भेज सकेगे। मध्यस्थता मे दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

35. अमानत राशि रू. 72,000/– का डिमांड ड्राफ्ट बैंक के पक्ष में जमा करावें।

36. यदि फार्म पोर्टल से डाउनलोड़ करें तो 500/– अतिरिक्त जमा करावें।

37. (1) फार्म प्राप्ति की अंतिम दिनांक 17.07.2018 (प्रातः 12.00 बजे तक)
(2) फार्म जमा की अंतिम दिनांक 17.07.2018 (दोपहर 2.00 बजे तक)
(3) निविदा खोलने की दिनांक 18.07.2018 (दोपहर 3.00 बजे)

प्रबन्ध निदेशक
बैंक

मैने उक्त शर्तो (1 से 37 तक) का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हम यह भी स्वीकार्य है कि **प्रबन्ध निदेशक, दी बांसवाडा सैन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा** का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरी होगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर ....

नाम व पता ....

....

दी बांसवाडा सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि बांसवाडा

(तकनीकी निविदा प्रपत्र)

क्र.स.	विवरण	सूचना
1.	रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता संस्था का नाम	
2.	रजिस्ट्रेशन संख्या	
3.	संस्था का प्रकार (एन.जी.ओ. /सहकारी समिति)	
4.	अध्यक्ष का नाम सचिव का नाम	
5.	स्थाई पता	
6.	दुरभाष (कार्यालय, निवास, मोबाईल न)	
7.	संस्था की पेन संख्या	
8.	संस्था सेवा कर पंजीयन संख्या	
9.	श्रम विभाग से पंजीकृत होने पर पंजीयन क्रमांक व दिनांक	
10.	अमानत राशि रू.72000/— (दि बांसवाडा सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. बांसवाडा को देय) डी.डी. संख्या व दिनांक	
11.	अनुभव	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

पुरा नाम

पद

पता

पुरा पता

मोबाईल नम्बर

डाक का पता

राजस्थान सरकार

दी बांसवाडा सैन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि बांसवाडा

निविदा प्रपत्र "ख"

(वित्तीय निविदा प्रपत्र)

उक्त शर्तो के आधार पर कार्मिक सप्लाई निविदा निकाली जायेगी।

क्र.स.	शर्तो का विवरण	
1	निविदा मे वर्णित शर्तो के अनुसार दस्तावेज	
2	सम्बन्धित फर्म/ एन.जी.ओ./ सहकारी समिति का लेबर सप्लाई करने का अनुभव	
3	सर्विस चार्ज (कर्मचारियो को देय मानदेय मे से कटौती) राशि प्रतिशत मे	
4	उक्त तीनो शर्तो मे समान आने पर निविदा लॉटरी के माध्यम से निकाली जायेगी।	

नोट :– कमेटी का निर्णय ही अन्तिम एवं सर्वमान्य निर्णय माना जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

पुरा नाम

पद

पता

पुरा पता

मोबाईल नम्बर

डाक का पता